

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक - प्र0-06/रा0का0-26/2016 - 1597 खाद्य, पटना/दिनांक- 29.03.17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :- आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं अन्य डाटा के Miss match होने के स्थिति में आधार कार्ड में अंकित नाम एवं विवरणी को ही राशन कार्ड में संशोधन कर प्रविष्टि करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के दिशा-निदेश के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत लाभुकों का सत्यापन का कार्य जिलों के द्वारा की जा रही है। राशन कार्ड के सत्यापन के क्रम में यह संज्ञान में आया कि राशन कार्ड एवं आधार कार्ड के विवरणी में आंशिक त्रुटियों पाई जा रही है। दिनांक 01.03.2017 को मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आधार कार्ड एवं राशन कार्ड में नाम, पिता का नाम एवं अन्य डाटा के Miss match होने के स्थिति में आधार कार्ड में अंकित नाम एवं विवरणी को ही राशन कार्ड में संशोधन कर प्रविष्टि की जाय।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- प्र0-06/रा0का0-26/2016 - 1597 खाद्य, पटना/दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि - अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, पटना
एवं सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।